राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2683/2025

नेहा सैनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.05.2025

आदेश की दिनांक : 05.05.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (राजनीति विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजपूतों की ढाणी, पीपराली सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 13.10.2011 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई थी और रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध अपीलार्थी को प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नत किया गया तथा ऑनलाईन काउंसिलिंग के पश्चात् अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कैरपुरा पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि काउंसिलिंग के समय विभाग द्वारा रिक्त पदों को छिपाया गया है, जबकि वर्तमान पदस्थापित स्थान के नजदीकी कई विद्यालयों में प्राध्यापक के पद रिक्त हैं, परंतु अपीलार्थी को नजदीकी स्थान पर

पदस्थापित नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी के पति मुम्बई में कार्य करते हैं तथा सास–ससुर भी वृद्ध हैं, जिनकी देखभाल हेतु अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति के बावजूद अपीलार्थी को दूर पदस्थापित किया गया है, जो नीति एवं नियमों के विपरीत है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर पदस्थापित किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष